भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1676

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

बाढ़ प्रभावित सड़कों की मरम्मत

1676. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि हाल में अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण केरल सहित दक्षिण भारत में अधिकतर सड़कें नष्ट हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी बर्बादी की मात्रा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी सड़कों की मरम्मत/निर्माण हेतु कोई विशेष पैकेज देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केरल में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य आरंभ हुआ है/होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): केरल सहित दक्षिणी राज्यों में क्षतिग्रस्त के तौर पर रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की समग्र लंबाई जिसका कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है, का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित लंबाई (किमी में)
1.	तमिलनाडु	68
2.	आंध्र प्रदेश	569
3.	केरल	400
4.	कर्नाटक	842
5.	तेलंगाना	243

वर्ष 2019-20 के लिए बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मत (एफडीआर-नई) के अंतर्गत संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च किए गए व्यय के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	एफडीआर के अंतर्गत आबंटन (करोड़ रु. में)	पीआर के अंतर्गत स्वीकृत सीमा (करोड़ रु. में)	कुल (करोड़ रु. में)
1.	तमिलनाडु	2.00	50.00	52.00
2.	आंध्र प्रदेश	4.50	88.50	93.00
3.	केरल	5.00	178.00	183.00
4.	कर्नाटक	5.00	175.50	180.5
5.	तेलंगाना	0.00	41.00	41.00

एनएचएआइ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में मौजूदा संविदाकर्ता/रियायतग्राहियों से क्षतिग्रस्त खंडों को भी मरम्मत/जीर्णोद्धार करवाया गया है।

(ग): यह मंत्रालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के मरम्मत/निर्माण के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं देती है।

(घ): राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात पारस्परिक प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के आधार पर शुरू किए जाते हैं।

*****